राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक 165/अ-19(3)/2014-2015

केन्द्रीय विद्यालय संगठन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15.03.2016 | प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण में प्रभारी उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक फा 22029/पांढुर्णा/2015-केविसं/(जबलपुर)/7741-44 दिनांक 10.03.2016 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि जिला छिन्दवाड़ा के पांढुर्णा मे नया केन्द्रीय विद्यालय हेतु मौजा ग्राम कामठीखुर्द, प0ह0नं0 33 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर क्रमश: 223, 224 एवं 225 चिन्हित की गई भूमि का भौतिक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यो एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 22.02.2016 को किया गया। उक्त भूमि उपयुक्त पायी गई है। अतः प्रस्तावित भूमि को शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित करते हुये केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.03.2016 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 01 से 03 तक की जानकारी/दस्तावेज आगे की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाने का अनुरोध किया गया है। <br> आवेदित विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा द्वारा जांच कराई जाकर सर्वांगित रिपोर्ट आहुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा ने अपने पत्र क्रमांक 772/अ0वि0अ0/16 दिनांक 15.03.2016 में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 22.02.2016 को केन्द्रीय विद्यालय दल द्वारा तहसीलदार पांढुर्णा की उपस्थिति में पांढुर्णा में नवीन केन्द्रीय विद्यालय हेतु मौजा कामठीखुर्द, प0ह0नं0 33 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर क्रमशः 223, 224 एवं 225 कुल रकबा 3.290 हेक्टेयर भूमि का चयन कर आबंटन हेतु निवेदन किया गया है। पूर्व मे उपरोक्त भूमि मान0 न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 163/अ-19(3)/2014-2015 आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2015 के माध्यम से खेल मैदान (स्टेडियम) हेतु जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग को आबंटित की गई है। इसी प्रकार नवीन केन्द्रीय विद्यालय हेतु मौजा मोरडोंगरी प0ह0नं0 62 स्थित भूमि ख0नं0 524, 552 कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 109/अ-19(3)/2014-2015 आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2015 के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर को आबंटित किया जा चुका है। वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय की अनिवार्यता को दृष्टिगत दोनों ही पूर्व आबंटित आदेशों को निरस्त किया जाकर केन्द्रीय विद्यालय | |

कन्हैया ह0पा0 भूमि बन्दोबस्त ... 18/3/16

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

**न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा**

राजस्व प्रकरण क्रमांक 165/अ–19(3)/2014–2015

केन्द्रीय विद्यालय संगठन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | संगठन जबलपुर के पक्ष मे दल द्वारा चयनित मौजा ग्राम कामठीखुर्द, प0ह0नं0 33 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर क्रमशः 223, 224 एवं 225 कुल रकबा 3.290 हेक्टेयर का आबंटन किया जाना प्रस्तावित है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित अनुसार कंडिका क्रं0 01 से 03 तक की जानकारी/दस्तावेज प्रदत्त किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित भूमि आबंटन के पश्चात ही कार्यवाही की जा सकेगी।<br>3. प्रकरण तथा प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों का मेरे द्वारा अद्योपांत अवलोकन किया गया। जॉच अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रमांक–2 की कण्डिका–5 तथा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक–एफ–6/52/सात /नजूल/ 99, भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन शासकीय भूमि मौजा ग्राम–कामठीखुर्द ब0नं0–42, प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0– नांदनवाडी, तहसील पांढुर्णा जिला–छिन्दवाडा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 224 रकबा 3.290 हेक्टेयर भूमि मद चरनोई आवेदित विभाग जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा को खेल मैदान एवं खेल परिसर निर्माण हेतु न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 163/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2015 के अनुसार सशर्त आबंटित की गई थी।<br>4. जॉच अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2015 मे मौजा ग्राम कामठीखुर्द, प0ह0नं0 33 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर क्रमशः 223, 224 रकबा क्रमशः 0.202, 3.290 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 225 रकबा 2.841 हेक्टेयर में से 0.555 हेक्टेयर मद चरनोई का कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर भूमि जिला छिन्दवाडा के पांढुर्णा मे नया केन्द्रीय विद्यालय हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर को आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई थी। किंतु केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु मौजा मोरडोंगरी प0ह0नं0 62 स्थित भूमि ख0नं0 524, 552 कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 109/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2015 पूर्व मे ही आबंटित किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रस्ताव इस न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक | |

| 2 | 3 |
|---|---|

165/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2015 के अनुसार खारिज किया गया था।

चूंकि आवेदित विभाग द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 22.02.2016 को भौतिक निरीक्षण किया जाकर उक्त भूमि नया केन्द्रीय विद्यालय पांढुर्णा भवन निर्माण हेतु उपयुक्त पायी गई है। अतएवं इस न्यायालय के रा0प्र0क्रं0 163/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2015, रा0प्र0क्रं0 165/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2015 तथा रा0प्र0क्रं0 109/अ–19(3)/2014–2015 आदेश दिनांक 19 जून, 2015 को निरस्त किया जाकर जांच अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा/तहसीलदार पांढुर्णा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मौजा ग्राम कामठीखुर्द, प0ह0नं0 33 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर क्रमशः 223, 224 रकबा क्रमशः 0.202, 3.290 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 225 रकबा 2.841 हेक्टेयर में से 0.555 हेक्टेयर मद चरनोई का कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर भूमि जिला छिन्दवाडा के पांढुर्णा मे नया केन्द्रीय विद्यालय हेतु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रमांक–2 की कंडिका–5 मे वर्णित प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6–130/2009/सात/नजूल भोपाल दिनांक 18 फरवरी, 2015 के द्वारा निर्देशित अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय पांढुर्णा, तहसील पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा को नया केन्द्रीय विद्यालय पांढुर्णा भवन निर्माण हेतु बिना प्रब्याजी एवं रू. 1/– वार्षिक भू–भाटक पर निम्न शर्तों के अधीन अंतरित की जाती है:–

(1) उक्त आबंटित भूमि का उपयोग उक्त निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।

(2) भूमि का निर्धारित समयावधि में निर्धारित उपयोग न होने की स्थिति में भूमि वापस ली जा सकेगी।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य करने के पूर्व आवेदित विभाग को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से निकाय अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा भवन निर्माण अनुज्ञा नगरपालिका निगम से प्राप्त

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

**न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा**

राजस्व प्रकरण क्रमांक 165/अ-19(3)/2014-2015

केन्द्रीय विद्यालय संगठन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

| 2 | 3 |
|---|---|
| कर उनके द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।<br>(4) प्रश्नाधीन भूमि के चारों दिशा में मार्ग विस्तार हेतु निर्धारित भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जावेगा तथा आवश्यक विकास नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था करायी जावेगी।<br>(5) पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से प्रश्नाधीन आबंटित भूमि पर चारों ओर मार्ग के किनारे वृक्षारोपण कराया जाकर वृक्षों के संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक उपाय कराया जावेगें।<br>(6) तहसीलदार पांढुर्णा द्वारा तैयार किये गये ले--आउट नक्शे में दर्शित मार्ग के अनुसार आवेदित विभाग निर्माण कार्य करेगा।<br>आदेश की प्रति आवेदित विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एव तहसीलदार पांढुर्णा की ओर भेजी जाकर, तहसीलदार पांढुर्णा को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आबंटित शासकीय भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती कर मौके पर आवेदित विभाग को आधिपत्य सौंपे।<br>आदेश पारित एवं उद्घोषित।<br><br>(महेशचन्द्र चौधरी)<br>कलेक्टर,<br>जिला--छिन्दवाड़ा। | |